प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में 'अग्रिम प्राधिकार योजना' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उन दृष्टांतों का उल्लेख किया गया है जो 2019-20 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा करते समय ध्यान में आए और जिनमें अप्रैल 2015 से मार्च 2019 की अवधि के संव्यवहारों को शामिल किया गया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निष्पादन लेखापरीक्षक दिशा-निर्देशों के अनुसार यह लेखापरीक्षा की गई है।

लेखापरीक्षा, वित्त मंत्रालय (एमओएफ), राजस्व विभाग (डीओआर), वाणिज्य विभाग (डीओसी) और इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं से लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर प्राप्त हुए सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है।